

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-14012/03/2012-अ.भा.से.-III


भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 2015

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सिविकम संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को उनके समक्ष दिखाये गये दिनांक से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	ए. के. सिंह	2005	22.08.2007
2.	विशाल चौहान	1998	07.09.2000
3.	डी. आनंदन	2000	04.09.2002


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद (हरियाणा)।